राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सैल
राजस्थान, जयपुर

कमांक : रा0 पी0 प्र0/एल.ए/2015/ **दिनांक :**

DFA

परिपत्र–18

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर पीठ में विचाराधीन प्रकरण डी.बी. सिविल रिट् याचिका (PIL) संख्या 3270/2012 एस.के. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के प्रकरण में दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश की अनुपालना हेतु सभी पक्षकारों यथा, संबंधित राज्य सरकार के विभाग, जिला/उपखण्ड समुचित प्राधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समन्वयक जिला पीसीपीएनडीटी, सभी रजिस्टर्ड सोनोग्राफी केन्द्र मार्फत जिला नोडल अधिकारी, राज्य में सोनोग्राफी मशीन खरीदने व बेचने वाली कम्पनीयों को आदेश की प्रति जरिए ई–मेल एवं डाक के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है। माननीय न्यायालय के इस आदेश को संबंधित पक्षकारों की सुविधा के लिये विभागीय साइट (**www.rajswasthya.nic.in**) की पीसीपीएनडीटी साइट पर भी अपलोड किया गया है। प्रकरण पर दिनांक 30.04.2015 को अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा सभी विभागों के प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई है।

दिनांक 18.06.2015 को राज्य सलाहकार एवं समुचित प्राधिकारी की बैठक में माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु परिपत्र जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसकी अनुपालना में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी कर संबंधित पक्षकारों से यह आग्रह किया जाता है कि इसकी अनुपालना अतिशीघ्र की जाये ताकि माननीय न्यायालय को आगामी तारीख पेशी पर अनुपालना रिपोर्ट पेश की जा सके।

बिन्दु संख्या 1:–

The law Enforcement Agencies is directed to increase their vigilance over the unregistered PCPNDT Clinics. Whenever any unregistered PCPNDT Clinic is found, the ultrasound sonography machine should be immediately seized and the seizure be reported to the State Appropriate Authority and the Magistrate to initiate proceedings for its confiscation. The ultrasound sonography machine shall not be released by the courts until the conclusion of the proceedings under the PCPNDT Act.

राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्रों का सर्वे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा करवाया जा रहा है जिसके तहत अनरजिस्टर्ड मशीन मिलने पर तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को सर्वे, मेपिंग व पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन की मूल्यांकन रिपोर्ट माह अगस्त, 2015 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

बिन्दु संख्या 2:–

All the registered Medical Practitioners, authorized by amendment in rule 3(3) of the PCPNDT Rules of 1996 made in the year 2012, to carry out the sonography test, shall sign the sonography reports. The digital signatures will not be allowed. Each & every report will be accompanied with the photo copy or printed copy of the registration certificate of the PCPNDT clinic.

सोनोग्राफी करने हेतु अधिकृत चिकित्सक प्रत्येक रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर करेगा। डिजीटल हस्ताक्षर मान्य नहीं है तथा प्रत्येक सोनोग्राफी रिपोर्ट के साथ अपने पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी संलग्न करेगा।

बिन्दु संख्या 3:–

Every sale of the ultrasound sonography machine whether static or portable under section 3(B) of the PCPNDT Act will be reported by the manufacturers to the State Appropriate Authority. The manufacturing companies and dealers will obtain sufficient proof of the registration or application for registration before sale of the machine. The reporting will also include the sale of the second hand ultrasound sonography machine with the proof of sale to be registered as PCPNDT Clinic. Every sale of machine in violation of these directions will be treated as unauthorized sale, on which the machine will be liable to be seized.

प्रत्येक सोनोग्राफी निर्माता कम्पनी अथवा सोनोग्राफी मशीन खरीदने व बेचने वाली कम्पनी राज्य में खरीदी व बेचने वाली मशीनो की रिपोर्ट पूर्व की भांति राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा जिस केन्द्र/संचालक को मशीन खरीद अथवा बेच रही है उससे पूर्व उसका पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। इसकी पालना सुनिश्चित की जाये।

बिन्दु संख्या 4:–

A GPS will be required to be attached to check the location of the ultrasound sonography machine. Every manufacturer wills install a GPS System at the time of sale of machine for tracing the location of the ultrasound sonography machine. The State Appropriate Authority will develop the technical knowhow of attaching a GPS on every machine within a period of three months. After three months, the sale of Ultrasound sonography machine without attaching GPS System will not be permitted.

प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन निर्माता कम्पनी सोनोग्राफी मशीन को बेचने के दौरान जीपीएस प्रणाली लगाकर बेचेगा। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2015 से तीन महिनों (दिनांक 15.07.2015 तक) के बाद में कोई भी कम्पनी बिना जीपीएस प्रणाली लगाये मशीन राज्य में नहीं बेच सकेगी।

इस बाबत कम्पनी मालिक एवं सोनोग्राफी केन्द्र संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम में आवश्यक सूचना यथा समय उपलब्ध करावें।

बिन्दु संख्या 5:–

The active trackers installed on sonography machines are of no use until the control rooms are established. The State Government will ensure that sufficient number of control rooms are established and a nodal officer is appointed for continuous monitoring of control room servers.

एक्टिव ट्रेकर/साइलेंट ऑबजर्वर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिय राज्य स्तर व जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये। राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम के प्रभारी सलाहकार तकनीकी सूचना होंगे तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में कन्ट्रोल रूम कार्य करेगा एवं सलाहकार पीसीपीएनडीटी कन्ट्रोल रूम के माध्यम से एक्टिव ट्रेकर/साइलेंट आबजर्वर की मॉनिटरिंग करेगा।

कन्ट्रोल रूम संचालन के लिये व्यय का वहन पीआईपी वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित किया गया है, जिसके अनुमोदन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।

बिन्दु संख्या 6:–

Until the rules are amended, providing for a procedure for an appeal against the order under the PCPNDT Act, it is provided that the appeal may be filed within a period of thirty days beyond which the appellant will have to give sufficient reasons for filing the appeal to the satisfaction of the appellate authority, and that a copy of the order will be annexed with the grounds of memorandum of appeal. The appeal must be decided expeditiously and as far as possible within a period of six months.

सभी समुचित प्राधिकारी प्रत्येक अपील का निस्तारण 6 माह में आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

बिन्दु संख्या 7:–

The order under Rule 11(2) of the PCPNDT Rules of 1996 for release of machines on payment of penalty equal to five times of the registrations fee on reporting any violation of PCPNDT Act or rules will not be passed until the Appropriate Authority is fully satisfied with the undertaking of compliance of the PCPNDT Act and Rules. It will be within the authority of the Appropriate Authority to take any security including bank Guarantee for releasing the Ultrasound Sonography Machine and where the offense has been reported to the Magistrate, the State Appropriate Authority will not have any power to release the machine. These powers will be exercised by the Magistrate, where the Criminal Case is pending consideration, subject to the same condition as are prescribed in rule 11(2) of the PCPNDT Rules of 1996.

इस नियम में निम्नानुसार संशोधन दिनांक 02.06.2011 को किया गया जो इस प्रकार है:–

"The Appropriate Authority or the officer authorized by it may seal and seize any ultrasound machine, scanner or any other equipment, capable of detecting sex of foetus, used by any organisation if the organisation has got itself registered undr the Act. These machines of the organisations may be released if such organisation pays penalty equal to five times of the registration fee to the Appropriate Autority concerned and give an undertaking that it shall not undertake detection of sex of foetus or selection sex before or after conception."

अतः इस बाबत् माननीय उच्च न्यायालय से आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक निर्देशन हेतु निवेदन किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 8:–

The State Govt. is directed to establish special PCPNDT Court in the districts of Sriganganagar, Hanumangarh, Churu, Jhunjhunu, Sikar and Alwar where the situation of female foeticide has worsened, as evidenced by the fall in the GIRL CHILD SEX Ratio in these districts. The State Government will establish the Special PCPNDT Court in these districts in addition to the 7 PCPNDT Court in the State Of Rajasthan, within a period of three months.

विधि व विधिक कार्य विभाग से संबंधित है एवं विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया जा चुका हैं।

बिन्दु संख्या 9:–

The court where the cases under the PCPNDT Act are pending or the courts, in which the revisions are pending, are directed to expedite the proceedings and conclude the trial within a period of six months. These directions are in addition to the direction issued earlier by this court to conclude the trials. Any pendency of trial under the PCPNDT Act beyond 6 months, will be taken adversely by the High Court on its Administrative side.

माननीय न्यायालय से संबंधित है। विभाग के समुचित व प्राधिकृत अधिकारियों को स्वयं एवं गवाहों को यह आदेशित किया जाता है कि वो माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त सम्मन पर माननीय न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करावें।

बिन्दु संख्या 10:–

The society at large has to be vigilant about the pernicious practice of female foeticide, which is conceived in secrecy and executed in deceit in connivance with the medical practitioners. The member of the society is given freedom to report these crimes to the State Appropriate Authority and the District Appropriate Authority. The complaints addressed to the District Magistrate or any other Appropriate Authority will be immediately reported to the State Appropriate Authority for taking steps. Wherever the complaints are found to be genuine, on making inspection, the complainant will be rewarded and for which the State Govt. will issue Appropriate Scheme within 3 months. The decoy operations will be encouraged and for which the State Govt. will issue guidelines for both carrying out

the decoy operation and for rewarding the participants in the successful decoy operations.

- विभाग द्वारा इस बाबत् 104 टोल फ्री मेडिकल सलाहकार सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज करने हेतु परिपत्र दिनांक 31.7.2014 को दिशा निर्देश जारी किये गये है इसका अत्यधिक प्रचार–प्रसार किया जाये।
- राज्य सरकार मुखबिर योजना के तहत ईनाम राशि 1 लाख रुपये से बढाकर 2 लाख रुपये के आदेश दिनांक 30.04.205 को जारी कर चुकी है। समस्त समुचित प्राधिकारी इस योजना का प्रचार–प्रसार करें।
- डिकॉय ऑपरेशन करने हेतु नई गाईड लाइन शीघ्र जारी कर समुचित प्राधिकारी को भेजने की कार्यवाही की जा रही हैं।

बिन्दु संख्या 11 :–

All the Judicial Magistrates/ Metropolitan Magistrate will be issued directions by the Registrar General of the Rajasthan High Court that wherever the Special PCPNDT Court are not established, they can take cognizance, conduct enquiry and trial for all offences of violation of PCPNDT Act and the Rules.

समस्त समुचित प्राधिकारी एवं अधिकृत अधिकारी को इस बाबत् आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित माननीय न्यायालयों में निवेदन करने बाबत् निर्देशित किया जाता है।

बिन्दु संख्या 12 :–

The State Govt. is requested to continue its efforts to encourage and expand the scope of the schemes for welfare of GIRL CHILD. The State Govt. has taken sufficient measures for public awakening, such as 'BADHAI SANDESH' on the birth of GIRL CHILD, involvement of various NGO's and Govt Organisations in 'BETI BACHAO BETI PADHAO' and in developing the 'ASHA SOFTWARE' for timely and seamless online payment under the various scheme to the beneficiary. The fall in the ratio of GIRL CHILD in the state of Rajasthan, however, requires the State Govt. to increase and expand the scope of the existing scheme and to initiate more schemes, for public awareness for protection of GIRL CHILD.

इस बाबत् योजना तैयार किये जाने हेतु संबंधित विभाग एवं निदेशक (प0क0) को निवेदन किया जा चुका है।

बिन्दु संख्या 13 :–

The State Govt. will also consider to make education of the Girl Child in the state completely free; to increase the percentage of reservation for woman in public employment from 30 percent to 50 percent; and to provide measures to limit the expenditure in weddings at all levels..

संबंधित विभागों को सूचित किया जा चुका है।

बिन्दु संख्या 14 :–

The State Govt., NGO's, Charitable Societies and the School both Govt. and Private must be encouraged and given special grants to organize programmes for development of the Girl Child and awareness against female foeticide and female infanticide.

गैर सरकार संगठनों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या व कन्या शिशू हत्या को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये। इस बाबत भारत सरकार द्वारा पीआईपी में 2015–16 में धन रशि प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किया गया है एनजीओ द्वारा जारी गाइड लाइन बजट प्राप्त होने पर जिलों को भिजवा दिया जायेगा।

उक्त परिपत्र पर वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2015 के निर्देशन लागू होंगे।

(नवीन जैन)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, भारत सरकार।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. डॉ0 राकेश कुमार, संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नम्बर–145 ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर को बिन्दु संख्या 12 हेतु पालनार्थ।
7. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राज0 जयपुर को बिन्दु संख्या 4 एवं 5 हेतु पालनार्थ।
8. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 12, 13 एवं 14 हेतु पालनार्थ।
9. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 14 हेतु पालनार्थ।
10. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 8 हेतु पालनार्थ।
11. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को बिन्दु संख्या 12, 13 एवं 14 हेतु पालनार्थ।

12. श्री सौरभ श्याम समसेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को चार अतिरिक्त प्रतियां भेजकर निवेदन है कि आगामी तारीख पेशी पर बिन्दु संख्या 6 एव 7 बाबत् माननीय न्यायालय को पुनः निर्देश देने हेतु निवेदन करें।
13. श्री जी.एस0 गिल. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर चार अतिरिक्त प्रतियां भेजकर निवेदन है कि आगामी तारीख पेशी पर बिन्दु संख्या 6 एव 7 बाबत् माननीय न्यायालय को पुनः निर्देश देने हेतु निवेदन करें। ।
14. निदेशक, पीएनडीटी, (MOHFW) कमरा नम्बर 203–डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001
15. निदेशक (आईईसी) एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
17. निदेशक (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 12 हेतु पालनार्थ।
18. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), राजस्थान जयपुर।
19. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज, जयपुर।
20. समस्त लोक अभियोजक, विशिष्ठ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी प्रकरण), अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर को मार्फत संबंधित जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
21. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान/समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान द्वारा अब तक की गई अनुपालना रिपोर्ट से दिनांक 06.07.2015 को आयोजित **"बेटी बचाओं अभियान प्रकोष्ठ"** की बैठक में लाकर राज्य समुचित प्राधिकारी को अवगत करावें।
22. समस्त सोनोग्राफी कम्पनीयों को बिन्दु संख्या 4 व 5 हेतु पालनार्थ मार्फत जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
23. मेनेजर, मेगनम ऑपस, विजन इण्डिया, एडवांस बायोमेडिक्स को बिन्दु संख्या–4 हेतु पालनार्थ।
24. समस्त सोनोग्राफी केन्द्र को बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 4 हेतु पालनार्थ मार्फत जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
25. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को बिन्दु संख्या 4 व 5 हेतु पालनार्थ एवं विभागीय वैबसाइट पर अपलॉड करने बाबत्।
26. संबंधित रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 वी.के. माथुर)
निदेशक (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।